

18/6/25

पीठासीन अधिकारी उपकरा/राजकार्य/बुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वक दिनांक 18/6/25 को पेश हो।  
रीडर

12/8/25

पीठासीन अधिकारी उपकरा/राजकार्य/बुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वक दिनांक 12/8/25 को पेश हो।  
रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

6/10/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पदकारान् उप. 1 पत्रावली वगैरे पेश करने संशोधित शरिख दिनांक 10-12-25 को पेश हो।  
(सौरभ भाबु)  
उपखण्ड अधिकारी  
मांगरोल

10/12/25

पीठासीन अधिकारी उपकरा/राजकार्य/बुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वक दिनांक 10/12/25 को पेश हो।  
रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

18/2/26

पत्रावली पेश हुई। वकील पदकारान् उप. 1 पत्रावली वगैरे पेश करने संशोधित शरिख में दिनांक 08-4-26 को पेश हो।  
(सौरभ भाबु)  
उपखण्ड अधिकारी  
मांगरोल

08/4/26

पत्रावली पेश हुई। रकम रकम कर तीन बार कावाज नैदलाई गई। न तो वकील उप. 1 न ही पदकारान् ऐसी स्थिति में यह न्यायालय इस पत्रावली को लागू प्रकार परबजा उचित नहीं समझता है। न्यायालय कारा रकम पत्रावली को न्यूनतम हाजरी न्यूनतम पेशी में स्वीकार किया जाता

बचनवान ..... बनाम .....

धारा ..... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की तामील
	<p>है। पत्रावली फेंसल शुमार होकर नम्बर से कत हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">५ (सौरभ भागु) अपखण्ड अधिकारी भागसोल</p>	